निरीक्षण टिप्पणी

कार्यालय का नामः– अंचल कार्यालय, दुल्हिन बाजार

निरीक्षण की तिथिः– 21.05.2014

निर्गत संख्याः– 6818 / गो0,दि0–01.07.2014

डॉ0 एन0 सरवण कुमार,भा0प्र0से0
समाहर्ता,पटना

डॉ0 एन. सरवण कुमार, भा0प्र0से0 समाहर्ता, पटना द्वारा दिनांक 21.05.2014 को दुल्हिन बाजार अंचल का किया गया निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी।

निरीक्षण के समय अपर समाहर्ता, पटना, अनुमण्डल पदाधिकारी, पालीगंज, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, पटना तथा अंचल अधिकारी, दुल्हिन बाजार उपस्थित थे।

01. परिचय :–दुल्हिन बाजार अंचल पटना–औरंगाबाद मुख्य सड़क पर पटना जिला मुख्यालय से एवं अनुमंडल मुख्यालय, पालीगंज से क्रमशः 52 कि0मी0 एवं 07 कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित है । इस अंचल के पूरब में मसौढ़ी अंचल, पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में बिक्रम अंचल तथा दक्षिण में पालीगंज अंचल अवस्थित है । सरकार की अधिसूचना सं0–213, दिनांक 06.01.1994 से सृजित है । इस अंचल अन्तर्गत दो दर्शनीय स्थल हैं (1) गोपाल नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय, भरतपुरा एवं (2) उलार सूर्य मंदिर ।

यह अंचल कुल 10666.94 हेक्टेयर में फैला हुआ है । सिंचित भूमि 28068 एकड़ है एवं कृषि योग्य भूमि 22854 है । यह अंचल 14 पंचायत, 05 हल्का एवं 54 राजस्व ग्राम में विभक्त है । 04 ग्राम बेचिरागी है । 2011 की जनगणना के अनुसार इस अंचल की जनसंख्या 124344 है जिसमें पुरूष 64588 एवं महिला 59756 है ।

02. भवन :– इस कार्यालय का अपना भवन नहीं है । वर्त्तमान में अंचल कार्यालय एस0जी0एस0वाई0 से निर्मित उत्पादन पर्दशनी–सह–बिक्री केन्द्र, दुल्हिन बाजार में कार्यरत है ।

03. प्रभार :– वर्त्तमान में श्री दीपेन्द्र भूषण दिनांक 17.02.2014 से इस कार्यालय में अंचलाधिकारी के रूप में पदस्थापित हैं । इनके पूर्व श्री साकेत भूषण सिंह, अंचलाधिकारी के रूप में पदस्थापित थे । इसके पूर्व निम्नांकित पदाधिकारी कॉलम–3 में अंकित अवधि में अंचलाधिकारी के रूप में पदस्थापित रहे हैं :–

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम	पदस्थापन अवधि
1	2	3
01	श्री श्रीपति गिरी	02.06.2000 से 16.05.2003
02	श्री सुशील कुमार	17.05.2003 से 11.09.2003
03	श्री खुर्शीद अनवर सिद्दीकी	11.09.2003 से 03.04.2004
04	श्री सुधांशु शेखर	03.04.2004 से 03.07.2004
05	श्री खुर्शीद आलम अंसारी	03.07.2004 से 02.01.2006
06	श्री जयप्रकाश सिंह	03.01.2006 से 24.02.2009
07	श्री मनोज कुमार	25.02.2009 से 04.04.2010
08	श्री साकेत भूषण सिंह	04.04.2010 से 16.02.2014
09	श्री दिपेन्द्र भूषण	17.02.2014 से

04. पूर्व निरीक्षण :– इस अंचल मं पूर्व निरीक्षण का विवरण निम्न है :–

क्र0	पदाधिकारी का नाम	निरीक्षण तिथि	टिप्पणी प्राप्त होने की तिथि	अनुपालन की तिथि
01	श्री सुनील प्रसाद श्रीवास्तव, अनुमण्डल पदाधिकारी, पालीगंज	23.06.2003	–	–
02	उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, पालीगंज	29.10.2004	–	–
03	श्री खुर्शीद आलम अंसारी, अंचल अधिकारी	03.08.2005	–	–
04	श्री राजकिशोर प्रसाद, अनुमण्डल पदाधिकारी, पालीगंज	13.12.2006	–	–
05	डॉ0 एन0 सरवण कुमार, जिलाधिकारी, पटना	01.12.2013	16.12.2013	नहीं भेजा गया

उपस्थित अपर समाहर्ता के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा इस कार्यालय का निरीक्षण 13.12.2013 को किया गया एवं पत्रांक–389 दिनांक–31.01.2014 के द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन भी निर्गत है परन्तु इसका जिक्र उपर्युक्त विवरणी में नहीं की गयी है। इसी तरह अन्य किसी भी पदाधिकारी के स्तर से निरीक्षण उपरांत निरीक्षण टिप्पणी प्राप्त

नहीं होने का जिक्र किया जा रहा है जो प्रथम दृष्टिकोण से गलत प्रतीत होता है। यह अंचल कार्यालय की संचिका, पंजी की खराब स्थिति को दर्शाता है।

उपस्थित अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि वे अविलंब अनुमण्डल पदाधिकारी, पालीगंज/भूमि सुधार उप समाहर्ता पालीगंज/अपर समाहर्ता कार्यालय, पटना/जिला गोपनीय शाखा, पटना के कार्यालय से संपर्क कर पूर्व का निरीक्षण टिप्पणी की विवरणी प्राप्त कर अपने कार्यालय में संधारित कर कृत कार्रवाई से 15 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

05. कार्यालय स्थापना :– इस अंचल में संवर्गवार स्वीकृत बल के विरूद्ध पदस्थापित बल एवं रिक्ति बल निम्न है :–

क्र0	संवर्ग का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति
01	अंचल अधिकारी	01	01	–
02	अंचल निरीक्षक	01	–	01
03	लिपिक	04	01	03
04	राजस्व कर्मचारी	05	03	02
05	अमीन	–	–	–
06	कार्यालय परिचारी	02	01	01

वर्तमान समय में श्री विदेह किशोर अंचल निरीक्षक के रुप में अतिरिक्त प्रभार में हैं। इस कार्यालय में लिपिक के रुप में मात्र एक हीं लिपिक राम बाबू वर्मा पदस्थापित हैं। श्री मलय कुमार, लिपिक दिनांक–17.02.2014 से बर्खास्त हैं। राजस्व कर्मचारियों में से एक कर्मचारी श्री उदय कुमार के निलंबित होने के कारण वर्तमान समय में मात्र दो राजस्व कर्मचारी एक अमीन का पदस्थापना इस कार्यालय में होना था जो अभी तक नही हो पायी है। परन्तु अपर समाहर्ता के द्वारा अगल–बगल के कार्यालय से प्रतिनियुक्त किया गया है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इसका अनुपालन नही किया जा रहा है। उपस्थित अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी के द्वारा बताया गया कि भूमि सुधार उप समाहर्ता के द्वारा विक्रम एवं पालीगंज के अमीनों को दो–दो दिनों के लिए प्रतिनियुक्ति अपने स्तर से की गयी है यह उचित नहीं है। उपस्थित अपर समाहर्ता को निदेशित किया गया कि पूर्व में दिये गये निर्देश के आलोक में अमीन की प्रतिनियुक्ति स्वयं करेंगे। किसी भी अन्य स्तर सर यह कार्य नहीं किया जाय।

लिपिक एवं राजस्व कर्मचारियों की अत्यंत कमी को देखते हुए स्थापना उप समाहर्ता को निदेशित किया जाता है कि दुल्हिन बाजार अंचल में पर्याप्त कर्मियों का पदस्थापन सुनिश्चित करेंगे।

इस अंचल में कार्यरत कार्यालय कर्मी निम्नांकित तिथि से पदस्थापित हैं :–

क्र0	नाम एवं पदनाम	पदस्थापन की तिथि
01	श्री रामबाबु वर्मा, लिपिक	11.07.2013
02	श्री सत्येन्द्र कुमार, राजस्व कर्मचारी	04.03.2013
03	श्री विदेह किशोर, राजस्व कर्मचारी–सह–प्रभारी अंचल निरीक्षक	07.07.2012

06. अनुक्रमणी पंजी :– विधिवत् पंजी संधारित नहीं है । उपस्थित अपर समाहर्ता के द्वारा बताया गया कि दिनांक–13.12.2013 को उनके द्वारा किये गये निरीक्षण में निर्देश देने के बाद भी अभी तक उसका अनुपालन नहीं हो सका। वर्तमान अचंल अधिकारी, दिपेन्द्र भूषण दिनांक–17.02.2014 को योगदान दिये हैं उन्हें कड़ी चेतावनी के साथ निर्देश दिया गया कि वे इस पंजी को अधतन विहित प्रपत्र में संधारित करना सुनिश्चित करें।

07. कर्मपुस्तिका :– निरीक्षण में पाया गया कि किसी भी कर्मी का कर्म पुस्तिका संधारित नहीं है। यह अत्यंत खेदजनक विषय है। इस संबंध में अंचल अधिकारी को चेतावनी के साथ सख्त निदेश दिया गया।

08. सेवा पुस्तिका :– उपस्थित अंचल अधिकारी के द्वारा बताया गया कि अंचल कार्यालय में पदस्थापित सभी कर्मी/दफादार/चौकीदार का सेवा पुस्तिका संधारित है। श्री राम बाबू वर्तमान लिपिक का सुवा पुसितका की जांच की गयी अक्टूबर 2013 तक संधारित पाया गया। इनके सेवापुस्त में वर्णित वेतनमान से मिलान किया गया एवं सही पाया गया।

इस अंचल में पदस्थापित दो राजस्व कर्मचारी का सेवा पुस्त, ए0सी0पी0 संधारित करने हेतु जिला में भेजा गया है। श्री विवेक कुमार चौकीदार का सेवापुस्त का जांच किया गया एवं अक्टूबर 2013 तक अधतन पाया गया। सेवापुस्त में इनका वर्तमान वेतानमान–4440–7440 एवं ग्रेड वेतन 1300 वर्णित है परन्तु वेतन भरपाई पंजी में मार्च 2014 में 4798 बेसिक पर एवं 1300 ग्रेड वेतन के रुप में दिया गया परन्तु इस वेतनमान की कोई स्वीकृति की प्रविष्टि सेवापुस्त में नहीं है। स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी के निर्णय के बिना कार्यवाहक लिपिक के द्वारा अपने स्तर से नया वेतनमान पर वेतन दिया जा रहा है। इस संबंध में पूछने पर कार्यवाहक लिपिक श्री राम बाबू वर्मा के द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया। उन्हें कड़ी चेतावनी दिया गया एवं आदेश दिया गया कि अपर समाहर्ता के माध्यम से अपना कारणपृच्छा समर्पित करें। कारणपृच्छा स्वीकार होने तक उनका 21.05.2014 का वेतन स्थगित रहेगा।

09. **मुख्यमंत्री/जिला जन शिकायत पंजी :–** पंजी संधारित है । जनशिकायत में कुल 41 आवेदन–पत्र प्राप्त है जिसमें 28 निष्पादित कर दिया गया है । शेष 13 आवेदन–पत्र जाँच स्तर पर लंबित है । पंजियों को देखने से स्पष्ट है कि जिलाधिकारी कार्यालय से 26 मामले, एवं मुख्यमंत्री सचिवालय से 07 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। अंचल अधिकारी कार्यालय के द्वारा एक भी प्राप्त मामला नहीं दिखाया गया है। अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि वे जनशिकायतों के मामले में उच्चतम प्राथमिकता दें। अतिक्रमण संबंधित जनशिकायतों में तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा निष्पादित किये गये जवाब में जो वास्तव में निष्पादित नहीं हैं अतिक्रमण हटाये बिना अमीन नहीं रहने की बात कहते हुए निष्पादित किया गया जो गलत है।

10. **कार्यालय आदेश पंजी :–** पंजी संधारित है । कुल 06 आदेश निर्गत है । यह पंजी दिनांक–17.02.2014 से वर्तमान अंचल अधिकारी के द्वारा संधारित है। इस पंजी में कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रों को हीं साट दिया गया है। उपस्थित अंचल अधिकारी को सलाह दिया गया कि इस पंजी का प्रभावी प्रयोग करने के संबंध में अंचल अधिकारी को प्रशिक्षित किया गया।

11. **प्रधान लिपिक नोट बुक :–** प्रधान लिपिक का नोट बुक संधारित नहीं है । प्रधान लिपिक से इस संबंध में अविलंब प्रधान लिपिक के नोटबूक संधारण कराने का निदेश अंचल अधिकारी को दिया गया।

12. **लोक सेवा का अधिकार :–** इस सेवा में अंचल के द्वारा निम्न प्रकार मामले का निस्तार किया गया है :–

क्र0 सं0	सेवा का नाम	01.04.2014 से प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या	अब तक निष्पादित आवेदन–पत्रों की संख्या
1	2	3	4
01	जाति प्रमाण–पत्र	2323	2261
02	आवासीय प्रमाण–पत्र	3574	3549
03	आय प्रमाण–पत्र	1582	1570
04	भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र	141	137
05	दाखिल–खारिज	382	320

शेष पर कार्रवाई चल रही है एवं समयावधि पार नहीं है ।

प्रखण्ड कार्यालय में अवस्थित आर0टी0पी0एस0 पर औचक निरीक्षएण किया गया। निरीक्षण के समय शशिकांत, आई0टी0, सहायक, विद्यानन्द कुमार, कार्यपालक सहायक(तत्काल सेवा), धर्मेन्द्र कुमार, कार्यपालक सहायक उपस्थित पाये गये। आई0टी0 सहायक के द्वारा बताया गया कि श्री सत्येन्द्र कुमार, कार्यपालक सहायक, दुल्हिन बाजार पूर्व से तत्कालीन अनुमण्डल

पदाधिकारी के द्वारा पालीगंज अनुमण्डल में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। उपस्थित अनुमण्डल पदाधिकारी, पालीगंज को निदेशित किया गया कि इनकी सेवा पालीगंज से दुल्हिन बाजार में किया जाय।

दाखिल खारिज वादों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अस्वीकृत मामलों में अस्वीकृत करने संबंधित स्पष्ट कारण का उल्लेख किया जा रहा है जो प्रशंसनीय है। अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि भविष्य में भी इसका अनुपालन करते रहें।

13. **महादलितों के लिए भूमि :–**

इस अंचल में महादलितों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु निम्न प्रकार लक्ष्य निर्धारित था ।

कुल सर्वेक्षित महादलित परिवार – 2852 थे जिसमें 2610 को अपना आवास था । शेष 242 वासरहित महादलित परिवार के लिए भूमि उपलब्ध कराना था । जिसमें निम्न प्रकार लक्ष्य हासिल किया गया है ।

क्र0	शीर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	अवशेष
02	गैरमजरूआ मालिक	96	82	14
03	गैरमजरूआ आम	95	94	01

अवशेष 15 परिवार को भूमि उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है ।

14. **संचिका :–** कार्यालय में संचिका संधारित है ।

15. **Movement पंजी :–** पंजी संधारित है परन्तु अद्यतन प्रविष्टि नहीं की जा रही है। अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि पंजी के **Movement** के आधार पर प्रतिदिन इसमें प्रविष्टि की जाय।

16. **रक्षी संचिका :–** पूर्व में संधारित नहीं था । वर्त्तमान में संधारित कर दिया गया है । पूर्णतः नयी रक्षी संचिका संधारित की गयी है। इसमें कुछ हीं महत्वपूर्ण पत्र/परिपत्र को पोषित किया गया है। अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि विक्रम अंचल कार्यालय से संपर्क कर वहां के रक्षी संचिका से महत्वपूर्ण पत्रों/परिपत्रों को संग्रहण कर लें और उसे अपने कार्यालय की रक्षी संचिका में पोषित करें।

17. **पेंशन :–** पेंशन से संबंधित कोई मामले नहीं है । सेवान्त लाभ का कोई मामला लंबित नहीं है।

18. **अंकेक्षण :–**अंकेक्षण से संबंधित कोई मामले नहीं है अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण का कोई भी मामला अनुपालन हेतु लंबित नहीं है। परन्तु गत वित्तिय वर्ष के समाप्ति के समय अंचल नाजीर अनाधिकृत रुप से अब तक गायब हैं जिसके कारण गबन की संभावना को देखते हुए उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है। नाजीर के द्वारा कुल कितनी राशि का गबन किया गया है इस हेतु अंचल अधिकारी के द्वारा अपने पत्रांक 211, दिनांक 17.05.2014 द्वारा अंचल कार्यालय के अंकेक्षण करने हेतु समाहर्ता, पटना को अनुरोध किया गया है । उपस्थित अपर समाहर्ता को निदेशित किया गया कि इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई करेंगे।

19. **दफादार/चौकीदार पंजी :–** पंजी संधारित है । इस अंचल अन्तर्गत कुल 17 चौकीदार एवं 02 दफादार हैं । सभी का वेतन अद्यतन है ।

20. **एन0आर0 पंजी :–** नाजिर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं । अंचल कार्यालय के नाजीर चूंकि विगत वित्तिय वर्ष की समाप्ति के समय हीं अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित हैं। अतः एन0 आर0 पंजी की जांच नहीं की जा सकी।

21. **आदेश पंजी :–** आदेश पंजी संधारित है परन्तु इसमें चंद आदेश खानापुरी करने के तौर पर दर्ज किये गये हैं। अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि कार्यालय को सुव्यवस्थित एवं अनुशासित रखने के लिए समय–समय पर आदेश पंजी में आदेश दर्ज किया जाय और उसका शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

22. **भण्डार पंजी :–** पंजी संधारित है । अद्यतन नहीं है । अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि एक सप्ताह के अंदर इसे अधतन करना सुनिश्चित करेंगे।

23. **प्रधान सहायक नोट बुक** :– पंजी संधारित नहीं है ।

24. **माँग वूसली** :– वर्ष 2013–14 की वसूली निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	वर्ष	माँग	वसूली	प्रतिशत
01	2013–14	630023.60	476972.00	75.71

वर्ष 2013–14 का रिटर्न–II भेजा जा चुका है । रिटर्न–I नाजिर के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण भेजना संभव नहीं हो पा रहा है । नाजिर पर प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है ।

25. **दाखिल–खारिज** :– पंजी–07 एवं 27 विधिवत संधारित है । वित्तीय वर्ष 2014–15 में 93 दायर मामले में 63 का निष्पादन हो चुका है । 30 मामले पर कार्रवाई चल रही है तथा समयावधि के अन्दर है । दाखिल–खारिज संबंधित अस्वीकृत कतिपय मामले से कार्यालय अभिलेख की जांच की गयी। जांच के क्रम में पाया गया कि कई मामलों में यह अंकित करते हुए आवेदन अस्वीकृत किया गया है कि विक्रेता के नाम जमाबंदी दर्ज नहीं है। अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि ऐसे मामले को अस्वीकृत करने के पूर्व इसकी जांच कर लें कि विक्रेता के नाम जमाबंदी है या नहीं ? और विक्रेता को प्रश्नगत जमाबंदी में हिस्सा है या नहीं ?

26. **सैरात पंजी** :– पंजी संधारित है । मात्र एक सैरात है जो अद्यतन बन्दोबस्त एवं वसूल है परन्तु अंचल में स्थित सैरातों के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। अंचल अधिकारी ने बताया कि उनके अंचल में सूर्य मंदिर उलार में मेला प्रतिवर्ष लगता है जिसकी डाक प्रतिवर्ष की जाती है। अंचल अधिकारी से यह पूछा गया कि उक्त सैरात में कितनी भूमि है ? उसमें कौन–कौन प्लौट अवस्थित है ? इसकी सुरक्षित जमा कितना है ? किस वर्ष सुरक्षित जमा निर्धारित किया गया ? उक्त किसी भी प्रश्न का उत्तर अंचल अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया। अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि पूरे अंचल में कितनी सैरात है ? इसकी जानकारी अंचल कार्यालय विक्रम के सैरात पंजी से प्राप्त करेंगे। क्योंकि अंचल कार्यालय विक्रम से हीं कटकर उक्त अंचल का निर्माण हुआ है। साथ हीं यह भी निदेशित किया गया कि यदि किसी सैरात की सुरक्षित जमा निर्धारित नहीं है तो उसका शीघ्र प्रस्ताव दें और पूर्व में यदि बगैर सुरक्षित जमा निर्धारण किये बिना सैरात की बंदोबस्ती किसी पदाधिकारी के द्वारा की गयी हो तो उसके विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव देंगे।

27. **बासगीत पर्चा** :– पंजी संधारित नहीं है । अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि अबतक कुल निर्गत बासगीत पर्चा से संबंधित मामलों की प्रविष्टि कर पंजी संधारित करेंगे तथा उसका भौतिक सत्यापण भी अपने स्तर से करायेंगे ताकि यह पता चल सके कि कोई पर्चाधारी बेदखल है या नहीं ?

28. **बटाईदारी** :– मामला शून्य है ।

29. **भू–बन्दोबस्ती पंजी** :– पंजी संधारित नहीं है । अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि इस संदर्भ में अंचल कार्यालय विक्रम से संपर्क कर सरकारी भूमि की बंदोबस्ती से संबंधित आंकड़ा प्राप्त करेंगे और उससे संबंधित पंजी संधारित करेंगे ताकि यह पता चल सके कि इस अंचल में कुल कितने गैरमजरुआ/आम/मालिक भूमि खतियान के अनुसार है। कुल भूमि में से कितनी भूमि बंदोबस्त हुई ? किस–किस श्रेणी के लोगों को कितनी जमीन दी गयी ? कितनी भूमि अवशेष है ? अवशेष भूमि में से कितनी भूमि बंदोबस्ती के योग्य है ? और कितनी अयोग्य ? यदि अयोग्य है तो किस कारण से आयोग्य है ? यदि बंदोबस्ती के योग्य है तो सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों के साथ बंदोबस्ती का प्रस्ताव देंगे। साथ हीं उक्त प्रसंग में जिला राजस्व शाखा से प्रेषित प्रपत्र में वाछित प्रतिवेदन भेजेंगे। सभी प्रकार की बंदोबस्ती का भौतिक

सत्यापन भी करायेंगे। किसी प्रकार की बेदखली का मामला प्रकाश में आने पर बंदोबस्तदार को दखल दिलाने के लिए त्वरित कार्रवाई करेंगे।

30. **भू–हदबंदी** :– अंचल अधिकारी से पूछे जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि भू–हदबंदी से प्राप्त भूमि के संबंध में अंचल कार्यालय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि अंचल कार्यालय, विक्रम से संपर्क कर जानकारी प्राप्त करेंगे कि :–

1. भू–हदबंदी वाद से अधिशेष धोषित कितनी भूमि प्राप्त हुई ?
2. अधिशेष घोषित प्राप्त भूमि में से कितनी भूमि किस–किस श्रेणी के व्यक्तियों के साथ बंदोबस्त किया गया ?
3. बंदोबस्तदार भूमि पर दखलकार हैं या नहीं ?
4. कितनी भूमि वितरण हेतु अधिशेश है ?
5. अवशेष भूमि में से कितनी भूमि वितरण के योग्य है कितनी आयोग्य ?
6. यदि भूमि वितरण के अयोग्य है तो उसका कारण क्या है स्पष्ट उल्लेख करें ?
7. यदि बंदोबस्ती के योग्य है तो सरकार के मार्गदर्शन के अनुरुप सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों के साथ बंदोबस्ती प्रस्ताव शीघ्र देंगे।

31. **न्यूनतम मजदूरी** :– कोई मामला नहीं है । अंचल अधिकारी के द्वारा बताया गया कि इस संदर्भ में कोई जानकारी इस अंचल में प्रापत नहीं है। अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि जिला भूदान कार्यालय से संपर्क कर अपने अंचल अंतर्गत भूदान से प्राप्त भूमि के संबंध में वांछित जानकारी प्राप्त करेंगे और उक्त के आधार पर पंजी संधारण करेंगे। साथ हीं जिला राजस्व शाखा को प्रतिवेदित करेंगे कि :–

1. भूदान से कितनी भूमि प्राप्त हुई ?
2. प्राप्त भूमि में से कितनी भूमि भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा दान की संपुष्टि की गयी।
3. संपुष्ट दान की कितनी भूमि वितरित कर दी गयी कितनी अवशेष है ?
4. दान में कितनी प्राप्त भूमि संपुष्टि हेतु लंबित है ?
5. ऐसे लंबित मामलों की संपुष्टि हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता से अनुरोध करेंगे । जिला भूदान कार्यालय से संपर्क कर संपुष्ट दान पर अवितरित भूमि का वितरण का प्रयास करेंगे। साथ हीं भूदान से प्राप्त भूमि के बंदोबस्तदार के दखल कब्जा का भी सत्यापन करायेंगे। यदि बेदखली का कोई भी मामला प्रकाश में आता है तो दखल दिलाने की वांछित कार्रवाई करेंगे। मामला यदि जटिल हो तो उक्त मामले को बी0एल0डी0आर0 अपिल के तहत निष्पादित करने के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज से अनुरोध करेंगे।

32. **भू–दान पंजी** :– पंजी संधारित नहीं है । वर्तमान में पंजी संधारित की गयी है लेकिन इसमें काफी कम मामले अंकित है। अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि सरकारी भूमि के अतिक्रमण से संबंधित मामले आम जनता से प्राप्त आवेदन को दर्ज करेंगे अथवा कर्मचारी /अमीन से एतद संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त कर सभी मामले दर्ज करें और सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए अभिलेख खोलकर विधिसम्मत कार्रवाई करेंगे और की गयी कार्रवाई से संबंधित मासिक प्रतिवेदन जिला राजस्व शाखा को देंगे।

33. **अतिक्रमण** :– पूर्व में पंजी संधारित नहीं था। वर्त्तमान में संधारित है ।

34. **विधान सभा प्रश्न** :– पंजी संधारित नहीं है ।